प्रेस नोट

दिनांक 30.09.2024, थाना कौडिया

जनपद गोण्डा।

थाना कौडिया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-239/24, धारा 74, 352, 351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कुरबान पुत्र खान मोहम्मद सांवट निवासी ग्राम सावंटपुरवा मौजा कल्याणपुर थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2024 को थाना कौडिया क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कौडिया में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री शाम को शौच के लिए गयी थी कि विपक्षी कुरबान द्वारा बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड किया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 30.09.2024 को थाना कौडिया पुलिस द्वारा दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त कुरबान पुत्र खान मोहम्मद सांवट निवासी ग्राम सांवटपुरवा मौजा कल्याणपुर थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कुरबान पुत्र खान मोहम्मद सांवट निवासी ग्राम सांवटपुरवा मौजा कल्याणपुर थाना कौडिया जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-239/24, धारा 74, 352, 351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अमरजीत सोनकर
02. हे0का0 अनिल यादव
03. कां0 संदीप सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 30.08.2024, थाना को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-485/24, धारा 137(2), 127(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शीतला प्रसाद निवासी ग्राम जमुनहा गैलनग्रन्ट, थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा को रेलवे स्टेशन मनकापुर पीपल के पेड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.09.2024 को थाना को0मनकापुर क्षेत्र के रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा उनकी लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0सं0-485/24, धारा 137(2), 127(2), 87 बीएनएस बनाम सुनील कुमार आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवचेना के दौरान दोषी पाए गए नामजद आरोपी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शीतला प्रसाद निवासी ग्राम जमुनहा गैलनग्रन्ट, थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को रेलवे स्टेशन मनकापुर पीपल के पेड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुनील कुमार पुत्र शीतला प्रसाद निवासी ग्राम जमुनहा गैलनग्रन्ट, थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-485/24, धारा 137(2), 127(2), 87 बीएनएस थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रेमचन्द्र चौबे
02. हे0का0 हे0का0 राममिलन यादव
03. म0का0 अंजली किरन मौर्य

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 30.09.2024, साइबर सेल

जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रोन्नत प्रशिक्षणार्थियों को साइबर अपराधों से बचने के सम्बन्ध में किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में आज दिनांक 30.09.2024 को 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा में 45 दिवस का प्रोन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को साइबर क्राइम से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराते हुए ओ.टी.पी. किसी व्यक्ति को साझा न करने, अनजान वीडियो कॉल रिसीव न करने, लॉटरी / ईनाम के कॉल, मैसेज के फ्राड होने की सम्भावना होने, अनजान व्यक्ति को यूपीआई पिन न बताने, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग एप (जैसे एनी डेस्क, क्वीक सपोर्ट, टीमव्यूवर, स्क्रीन मिरर आदि) अपने फोन में कभी भी इंस्टाल न करें, सोशल नेटवर्किंग साइट पर होने वाले फ्राड की जानकारी दी तथा साइबर अपराध से तत्काल सुरक्षा व शिकायत दर्ज के लिए साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 के बारे में जानकारी दी गयी साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी वेवसाइट www.cybercrime.gov.in की भी जानकारी दी गयी तथा साइबर क्राइम से बचाव हेतु मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायें गये दिशा निर्देशों के अनुसार भी जागरुकता को प्रचारित किया गया। साइबर अपराध होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं जनपदों में स्थित साइबर सेल पुलिस व थाना स्तर पर बनी साइबर हेल्प डेस्क पर तुरन्त सम्पर्क कर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गयी। समस्त प्रकार के साइबर अपराध व उनसे बचाव के तरीकों से अवगत कराया गया व बताया गया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सुरक्षित व सावधानी पूर्वक उपयोग करें व किसी के बहकावें में न आकर अपनी फोटो व गोपनीय जानकारी कभी अनजान व्यक्ति से साझा न करें तथा किसी भी तरीके के साइबर अपराध होने पर तत्काल नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क / महिला हेल्प डेस्क पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करायें।

मीडिया सेल, गोण्डा।